प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर** थाना:– सीपीएस जयपुर **वर्ष 2022**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21/22 दिनांक 26/1/22

2. (1) अधिनियम **2018** धारा **7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस**

(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–

(3) अधिनियम .... धाराये :–........................

(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 615 समय 12.05 P.M.

(ब) अपराध के घटने का दिन :– **मंगलवार, दिनांक 25.01.2022, समय 11.45 ए0एम0**

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **24.01.2022 समय 07.00 ए0एम0**

4. सूचना की किस्म :– **लिखित**

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :–**चौकी से उत्तर पूर्व में करीब 120 कि0मी0 दूर।**

(ब) पता :– **पटवार मण्डल पाली द्वितीय।**

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता :–

श्री जयराम पुत्र श्री केशाराम जी जाट उम्र 83 वर्ष पेशा रिटायर्ड शिक्षक निवासी 30 टांको का बास पाली।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–

1. श्री कमल किशोर पंवार पुत्र श्री ताराचंद पंवार जाति दर्जी उम्र 42 वर्ष निवासी आशापुरा नगर खोडिया बालाजी पुनायता रोड पुलिया के आगे पाली हाल पटवारी पटवार मण्डल पाली द्वितीय तहसील व जिला पाली
2. श्री चिकूराम पुत्र श्री बन्नाराम जाति सांसी उम्र 33 वर्ष निवासी सांसी बस्ती, नया गांव पुलिस थाना ट्रांसपोर्टनगर जिला पाली

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–........................

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य ट्रेप राशि 30,000/–रू0 .

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)........................

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामें

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
A.C.B जालौर

विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने के कम में।

महोदयजी,

मैं जयराम पुत्र श्री केशाराम जी जाट उम्र 83 वर्ष पेशा रिटायर्ड शिक्षक निवासी 30 टांको का बास पाली मोबाईल नम्बर 9784799311 का रहने वाला हूं। मेरे जमीन के रेकार्ड में मेरे पिताजी के जाति जाट के स्थान पर घांची दर्ज हो गया था जिसके सुधार के लिये मैनें एसडीएम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जिस पर एसडीएम न्यायालय द्वारा जाति सुधार का दुरस्तीकरण निर्णय पारित कर करीब दो माह पूर्व तहसीलदार पाली को आदेश की प्रति प्रेषित की गई थी जिसके बावजूद पटवारी श्री कमल किशोर चक द्वितीय पाली ने नाम दुरस्तीकरण नही किया है एवं न ही हमें खातेदारी हक का नामान्तरकरण दर्ज किया है व इस कार्य को करने के लिये मेरे से 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। परन्तु मैनें मना कर दिया था। फिर इन्होने मुझे कहा कि मैं घर आकर ले लूंगा ओर आपके कागज एक दो दिन में कर दूंगा। पटवारी श्री कमल किशोर अत्यन्त चालाक व शातिर है। वह रिश्वत की मांग केलकुलेटर से या ईशारे से ही करता है। साथ ही अपने मुंह से साफ मना करता रहता है। पटवारी कमल किशोर अपने ऑफीस में एक दो दलाल खडे रखता है व उनको मौके से पैस (रिश्वत) दिलवाता है और मौके से तुरन्त रवाना कर देता है। पटवारी श्री कमल किशोर के लिये रिश्वत की पुरी बात भी दलाल ही करते है। यह स्वंय मुंह से मांग नही करता है। सिर्फ हाथ से या लिख कर बताता है। मैं श्री कमल किशोर पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी कमल किशोर पटवारी से कोई दुश्मनी नही है एवं न ही कोई पैसे का लेन देन बकाया है। अतः श्रीमान को रिपोर्ट पेश कर अर्ज है कि उचित कानूनी कार्यवाही करावें।

दिनांक 24.01.2022

प्रार्थी

जयराम पुत्र श्री केशाराम जी जाट उम्र
83 वर्ष निवासी 30 टांको का बास पाली
मोबाईल नम्बर 9784799311

एसडी सुरेन्द्र कुमार	एसडी केलाशचन्द्र	एसडी राजेन्द्रसिंह नि.पु.	एसडी महावीरसिंह अ.पु.अ.
25.01.2022	25.01.2022	24.01.2022	24.01.2022

<u>कार्यवाही पुलिस दिनांक 24.01.2022 समय 07.00 ए0एम0</u>

इस समय परिवादी श्री जयराम पुत्र श्री केशाराम जी जाट उम्र 83 वर्ष पेशा रिटायर्ड शिक्षक निवासी 30 टांको का बास पाली ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट मन् महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की कि जयराम पुत्र श्री केशाराम जी जाट उम्र 83 वर्ष पेशा रिटायर्ड शिक्षक निवासी 30 टांको का बास पाली मोबाईल नम्बर 9784799311 का रहने वाला हूं। मेरे जमीन के रेकार्ड में मेरे पिताजी के जाति जाट के स्थान पर घांची दर्ज हो गया था जिसके सुधार के लिये मैनें एसडीएम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जिस पर एसडीएम न्यायालय द्वारा जाति सुधार का दुरस्तीकरण निर्णय पारित कर करीब

दो माह पूर्व तहसीलदार पाली को आदेश की प्रति प्रेषित की गई थी जिसके बावजूद पटवारी श्री कमल किशोर चक द्वितीय पाली ने नाम दुरस्तीकरण नही किया है एवं न ही हमें खातेदारी हक का नामान्तरकरण दर्ज किया है व इस कार्य को करने के लिये मेरे से 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। परन्तु मैनें मना कर दिया था। फिर इन्होने मुझे कहा कि मैं घर आकर ले लूंगा ओर आपके कागज एक दो दिन में कर दूंगा। पटवारी श्री कमल किशोर अत्यन्त चालाक व शातिर है। वह रिश्वत की मांग केलकुलेटर से या ईशारे से ही करता है। साथ ही अपने मुंह से साफ मना करता रहता है। पटवारी कमल किशोर अपने ऑफीस में एक दो दलाल खडे रखता है व उनको मौके से पैस (रिश्वत) दिलवाता है और मौके से तुरन्त रवाना कर देता है। पटवारी श्री कमल किशोर के लिये रिश्वत की पुरी बात भी दलाल ही करते है। यह स्वंय मुंह से मांग नही करता है। सिर्फ हाथ से या लिख कर बताता है। मैं श्री कमल किशोर पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी कमल किशोर पटवारी से कोई दुश्मनी नही है एवं न ही कोई पैसे का लेन देन बकाया है। अतः श्रीमान को रिपोर्ट पेश कर अर्ज है कि उचित कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी ने यह लिखित रिपोर्ट स्वंय द्वारा लिखना तथा उक्त रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री जयराम ने यह भी बताया कि श्री कमल किशोर पटवारी भ्रष्ट एवं शातिर प्रवृति का है। वह बिना रिश्वत लिये किसी का काम नही करता है। वह रिश्वत राशि अपने मुंह से कह कर नही मांगता है एवं न ही स्वंय लेता है। अपने कार्यालय में दो तीन दलाल रखता है जिनके मार्फत ही रिश्वत लेता है तथा रिश्वत लेते ही उन्हे कार्यालय से रवाना कर देता है। एसडीएम न्यायालय पाली से मेरे पक्ष में निर्णय होने के बावजूद भी करीब डेढ माह से मुझे बार–बार चक्कर कटवा रहा है। मैं वृद्ध होकर वरिष्ठ नागरिक हूं। इसके बावजूद मेरे काम को करने में देरी किये हुए है। मैं उनसे मेरे जायज काम के लिये बात करूंगा तो वो मेरे से भी बिना रिश्वत लिये काम नही करेगें तथा न ही मेरे से रिश्वत की बात करेगा। रिश्वत राशि ईशारो से या केलकुलेटर पर अंकित करके ही बताता है। करीब दो दिन पूर्व मैनें मेरे कार्य के लिए पटवार मण्डल पाली द्वितीय में जाकर श्री कमल किशोर पटवारी से मिला तो उन्होने मुझसे भी अपने केलकुलेटर में पचास हजार रिश्वत राशि अंकित कर देने हेतु कहा तथा यह भी कहा कि पचास हजार नही देने पर एसडीएम न्यायालय से जारी आदेश को नोट लगाकर खारिज करवा दूंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री जयराम से उनका परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि0 श्री विक्रमसिंह नं0 556 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय कक्ष में बुलाकर मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्ड मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री जयराम से उसका आपस में परस्पर परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर श्री विक्रमसिंह कानि0 को सुपूर्द कर हिदायत दी की कि परिवादी श्री जयराम के साथ कलेक्ट्रेट पाली जाकर श्री कमल किशोर पटवारी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर लावे। इत्यादी हिदायत देकर परिवादी श्री जयराम तथा श्री विक्रमसिंह कानि0 को पटवार मण्डल पाली द्वितीय के लिए रवाना किया गया।